न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः—अनिल कुमार चौधरी (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
64 / 2022	07.04.2022	10.06.2024

1. संजय कुमार पुत्र घासीलाल उर्फ पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासीयान मुद्राहेडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. मांगी वेबा घासीलालउर्फ पप्पूलाल जाति गुर्जर निवासीयान मुद्राहेडी तहसील व जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सवाई माधोपुर

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा

उपस्थितः—

1. श्री सत्येंद्र कुमार गोयल प्रार्थी की और से।

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र दावा बाबत घोषणा पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीगण आराजी खसरा नं. 109 रकबा 0.12 है0 खसरा नं. 131 रकबा0.08 है० खसरा न. 132 रकबा 0.07 है0 खसरा नं. 52/449 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मुद्राहेड़ी तहसील सवाई माधोपुर सम्पूर्ण वाद संख्या 1 के पिता की खातेदारी की तथा खसरा नं. 51 रकबा 0.24 है० खसरा नं. 52 रकबा 0.38 कुल किता 2 वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता 3/4 हिस्से का तथा चाह खसरा नं. 48रकबा 0.05 है० वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता का 1/15 हिस्सा और चाह खसरा नं. 111 रकबा 0.02 हेक्टर में वादी संख्या 1 के पिता 1/2 हिस्से का खातेदार है वादी संख्या 1 पिता के खातेदारी की उक्त आराजीयात पूर्व में वादी संख्या 1 के बाबा कन्हैया पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात थी। वादी संख्या 1 के दादा कन्हैया फौत होने पर वाद पत्र के मद नं. एक में वर्णित आराजीयात कन्हैया के वारिसान वादी संख्या 1 का पिता पप्पूलाल उर्फ घासीलाल वादी संख्या 1 की दादी रामकन्या तथा वादी संख्या 1 की तीन बुआ धीसी, दुलारी, भारती के नाम नामांतकरण खुलकर खातेदारी में [illegible] गई नकल नामातंकरण पेश है। वादी सख्या 1 की दादी रामक[illegible] 31.05.2016 को वादी संख्या 1 के पिता पप्पूलाल उर्फ घासीलाल के हक में हक[illegible] पत्र तहरीर कराकर अपनी 2 फोटो तथा वादी संख्या 1 के पिता घासीलाल उर्फ पप्पूलाल की फोटो लगाकर पंजीकृत करा दिया। वादी संख्या 1 के पिता घासीलाल उर्फ पप्[illegible] पुत्र कन्हैया की दिनांक 07.08.2016 को मृत्यू हो गई ग्राम मुद्राहेड़ी में घासीलाल उर्फ पप्पूलाल पुत्र कन्हैयालाल नाम का एक मात्र वादी संख्या 1 का पिता था वादी संख्या 1 के पिता को गांव में पप्पूलाल के नाम से पुकारा जाता है तथा आधार कार्ड एवम् रेवेन्यू रिकॉर्ड व ड्राईविंग लाइसेंस में वादी संख्या 1 के पिता का नाम घासीलाल दर्ज है। पप्पूलाल उर्फ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.09.12 14:03:27 IS
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

घासीलाल के वादीगण वारिसान है तथा वाद पत्र के मद नं. एक में वर्णित आराजीयात पर वहेसियत वारिस काबिज चले आ रहें है। वादीगण पप्पूलाल उर्फ घासीलाल की फोती के पश्चात लगातार तहसीलदार सवाई माधोपुर व पटवारी हल्का दोलाड़ा सेवादीगण ने वारिस होने के कारण वादीगण के नाम नामांतकरण खोलने का लगातार तकाजा किया जा रहा है लेकिन प्रतिवादी ने दिनांक 01.03.2022 को बिना श्रीमान से पप्पूलाल ही घासीलाल था तथा वादीगण पप्पूलाल उर्फ घासीलाल के वारिस होने के कारण खातेदार है सम्बन्धी घोषणा करायें वादीगण के हक के नाम नामांतकरण खोलने से इकरार कर दिया ऐसी स्थिति वादीगण को दावा बाबत् घोषणा पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण प्रार्थीगण दावा वादीगण व खिलाफ बादी निम्नप्रकार डिकी फरमाया जावें।(ए) घोषणा इस अमर की कि जावें कि पप्पूलाल ही घासीलाल है तथा वादीगण पप्पूलाल उर्फ घासीलाल के वारिसान है इसलिए वादीगण वाद के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात के पप्पूलाल उर्फ घासीलाल के वारिसान होने के कारण खातेदार है।

बादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबंदी अंतिम चौसाला सम्वत 2076–79 ग्राम मुन्दाहेडी के खाता सं0 34 में दर्ज ख0न0 111 रकबा 0.02 हि0 1/2 खाता सं0 35 में दर्ज किता 4 रकबा 0.33 है0 संपूर्ण हिस्सा खाता सं0 36 में दर्ज किता 2 रकबा 0.62 है0 हि0 3/4 खाता सं0 79 में दर्ज ख0न0 48 रकबा 0.05 हि 1/15 में पप्पू पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पप्पू पुत्र कन्हैया का अपने पिता कन्हैया पुत्र रामचंदा से विरासत में प्राप्त हुई। जिसका नामा0 सं0 47,75 व 142 दर्ज हुआ। प्रार्थी संजय कुमार पुत्र घासीलाल उर्फ पप्पू जमाबंदी में अपने पिता का नाम पप्पू के स्थान पर घासीलाल शुद्दि करवाकर अपने नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवाना चाहता है। घासीलाल फोत हो चुका है। मृतक के एक पुत्र संजय कुमार व पत्नी मांगी देवी मौजूद है। पुत्री नहीं है। ग्राम के मोत विरानों ने बताया कि पप्पू एवं घासीलाल दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है।

वादी ने वाद पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश किया तथा दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि वादीगण आराजी खसरा नं. 109 रकबा 0.12 है0 खसरा नं. 131 रकबा0.08 है० खसरा न. 132 रकबा 0.07 है0 खसरा नं. 52/449 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम मुद्राहेड़ी तहसील सवाई माधोपुर सम्पूर्ण वाद संख्या 1 के पिता की खातेदारी की तथा खसरा नं. 51 रकबा 0.24 है० खसरा नं. 52 रकबा 0.38 कुल किता 2 वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता 3/4 हिस्से का तथा चाहे [illegible] है० वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता का 1/15 हिस्सा और चाह[illegible] 111 रकबा 0.02 हेक्टर में वादी संख्या 1 के पिता 1/2 हिस्से का खातेदार है वादी [illegible] 1 पिता के खातेदारी की उक्त आराजीयात पूर्व में वादी संख्या 1 के बाबा कन्हैया [illegible] रामचन्द्र की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात थी। कन्हैया की हो चुकी है [illegible]के वारिसान का नामान्तकरण खोला गया। जिसमें प्रार्थी का नाम पप्पू अंकित कर दिया गया। परन्तु प्रार्थी के का सही नाम घासीलाल था और पप्पू बोलता नाम था। अतः अपने पिता का नाम सही करवाना चाहता है क्योकि प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है जिसका नामान्तकरण खोला जाना है। गलत नाम होने के कारण वादीगण के नाम उक्त भूमि का विरासत का

Signature Not Verif
Digitally signed by Dam
Date: 2025.09.12 14:03
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर
ई माधोपुर

नामान्तकरण नहीं खोला जा रहा है। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

पत्रावली में वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण आराजी खसरा नं. 109 रकबा 0.12 है० खसरा नं. 131 रकबा0.08 है० खसरा न. 132 रकबा 0.07 है० खसरा नं. 52/449 रकबा 0.06 है० वाके ग्राम मुद्राहेड़ी तहसील सवाई माधोपुर सम्पूर्ण वाद संख्या 1 के पिता की खातेदारी की तथा खसरा नं. 51 रकबा 0.24 है० खसरा नं. 52 रकबा 0.38 कुल किता 2 वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता 3/4 हिस्से का तथा चाह खसरा नं. 48रकबा 0.05 है० वाके ग्राम मुद्राहेड़ी में वादी संख्या 1 के पिता का 1/15 हिस्सा और चाह खसरा नं. 111 रकबा 0.02 हेक्टर में वादी संख्या 1 के पिता 1/2 हिस्से का खातेदार है वादी संख्या 1 पिता के खातेदारी की उक्त आराजीयात पूर्व में वादी संख्या 1 के बाबा कन्हैया पुत्र रामचन्द्र की खातेदारी कब्जे कास्त की आराजीयात थी। कन्हैया के फौत होने के बाद उक्त भूमि का नामान्तकरण पप्पू व अन्य खातेदारो के नाम इन्द्राज हुआ। वादी ने वाद पत्र में कथन किया है कि वादी के पिता घासीलाल उर्फ पप्पूलाल की भी मृत्यु हो चुकी है। वादी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे सही करवाना चाहता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक जमाबंदी अंतिम चौसाला सम्वत 2076–79 ग्राम मुन्दाहेडी के खाता सं0 34 में दर्ज ख0न0 111 रकबा 0.02 हि0 1/2 खाता सं0 35 में दर्ज किता 4 रकबा 0.33 है0 संपूर्ण हिस्सा खाता सं0 36 में दर्ज किता 2 रकबा 0.62 है0 हि0 3/4 खाता सं0 79 में दर्ज ख0न0 48 रकबा 0.05 हि 1/15 में पप्पू पुत्र कन्हैया जाति गुर्जर के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पप्पू पुत्र कन्हैया का अपने पिता कन्हैया पुत्र रामचंदा से विरासत में प्राप्त हुई। जिसका नामा0 सं0 47,75 व 142 दर्ज हुआ। प्रार्थी संजय कुमार पुत्र घासीलाल उर्फ पप्पू जमाबंदी में अपने पिता का नाम पप्पू के स्थान पर घासीलाल शुद्वि करवाकर अपने नाम विरासत का नामान्तकरण खुलवाना चाहता है। घासीलाल फोत हो चुका है। मृतक के एक पुत्र संजय कुमार व पत्नी मांगी देवी मौजूद है। पुत्री नहीं है। ग्राम के मोत विरानों ने बताया कि पप्पू एवं घासीलाल दोनो नाम का एक ही व्यक्ति है। अतः उक्त तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

उक्त विवेचन, तथ्यो एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण राजस्व ग्राम मुद्राहेडी के आराजी खसरा नं. 109 रकबा 0.12 है0 खसरा नं. 131 रकबा 0.08 है० खसरा न. 132 रकबा 0.07 है० खसरा नं. 5[illegible] रकबा 0.06 है0 , खसरा नं. 51 रकबा 0.24 है० खसरा नं. 52 रकबा 0.38 , खसरा [illegible] 48 [illegible]बा 0.05 है०, खसरा नं. 111 रकबा 0.02 हेक्टर भूमि में राज[illegible] पत्नी पप्पूलाल के स्थान पर घासीलाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। [illegible] इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। आदेश की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार सवाई [illegible]पुर को भिजवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damoda
Date: 2025.09.12 14:03:27
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उपजिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर